



संख्या-209/2026/ 2720 /चार-2026-1754824

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2026

विषय:- दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2026 तक नोएडा में आयोजित इण्टरनेशनल ट्रेड शो चतुर्थ संस्करण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनी पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1666/सं०नि०-15(31)/2026-27-1563484, दिनांक 16 सितम्बर, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नोएडा में आयोजित इण्टरनेशनल ट्रेड शो चतुर्थ संस्करण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनी पर होने वाले व्यय के संबंध में संशोधित प्रस्ताव निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०	मद का नाम	अनुमानित व्यय	अभ्युक्ति
1-	मुख्य मंच पर कलाकारों के मानदेय पर व्यय	53,21,780.00	ख्यातिलब्ध कलाकारों से निगोसिएशन के आधार पर निर्धारित
2-	प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के आवास-भोजन पर व्यय	27,00,000.00	दिनांक 24 से 30 सितम्बर, 2026 तक यू०पी० ट्रेड शो में प्रतिभाग करने वाले ख्यातिलब्ध कलाकारों/लोक कलाकारों के आवास एवं भोजन पर विभागीय निविदा की अनुमोदित दरों पर।
3-	ख्यातिलब्ध/लोक कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय	14,00,000.00	दिनांक 24 से 30 सितम्बर, 2026 तक यू०पी० ट्रेड शो में प्रतिभाग करने वाले ख्यातिलब्ध कलाकारों/लोक कलाकारों हेतु अपटूर्स की अनुमोदित दरों पर।
4-	ख्यातिलब्ध कलाकारों के हवाई टिकट पर व्यय	4,00,000.00	दिनांक 24 से 30 सितम्बर, 2026 तक ख्यातिलब्ध कलाकारों को कार्यक्रम स्थल तक आने व वापस जाने का हवाई टिकट वास्तविक व्यय के आधार पर।
5-	निर्मित मंच पर मंच, लाईट एवं साउण्ड, टेकराईडर, बैक ड्रॉप एवं साज-सज्जा इत्यादि पर व्यय	13,00,000.00	एम०एस०एम०ई० द्वारा सिर्फ मंच का निर्माण कराया जा रहा है। मंच की समस्त व्यवस्था विभाग द्वारा सचिवालय प्रशासन एवं सूचना विभाग की दरों पर कराया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6-	प्रदर्शनी पर व्यय	45,00,000.00	दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2026 में आयोजित होने वाले यू0पी0 इंटरनेशनल ट्रेड शो चतुर्थ संस्करण में संस्कृति विभाग यथा- राज्य संग्रहालय, पुरातत्व, राज्य ललित कला अकादमी, अभिलेखागार की प्रदर्शनी हेतु प्रदर्शनी स्थल का निर्माण सूचना विभाग की अनुमोदित दरों पर कराया जाना प्रस्तावित।
7-	कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर विविध व्यय	4,50,000.00	दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2026 तक आयोजित कार्यक्रम में प्रचार-प्रसार, ब्रोसर, स्टैण्डी, अंगवस्त्र, अभिलेखीकरण, सूक्ष्म जलपान इत्यादि पर व्यय।
	कुल योग	1,60,71,780.00	

2. अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1025/चार-2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा गठित समिति की दिनांक 18 सितम्बर, 2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा यू0पी0 इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किये जाने वाले अतिविशिष्ट/ख्यातिलब्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां/ मानदेय निम्नानुसार संस्तुति की गयी है:-

क्र	दिनांक	नाम	विधा	दल संख्या	मानदेय (लाख में)	18% GST (लाख में)	कुल मानदेय (लाख में)
1	26.09.2026	सुश्री मोनाली ठाकुर, मुंबई (Daichi & Aki Entertainment Pvt. Ltd.)	सेलेब्रिटी कलाकार	(12-15 सदस्य)	22,00,000.00	3,96,000.00	25,96,000.00
कुल योग							25,96,000.00

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2026 तक नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो चतुर्थ संस्करण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनी पर होने वाले व्यय **रु० 1,60,71,780.00 (रुपये एक करोड़ साठ लाख इकहत्तर हजार सात सौ अस्सी मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें / प्रतिबंध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
 - (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
 - (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -26- उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।